

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

निम्नलिखित कार्मिकों को पीएच.डी करने की अनुज्ञा स्थाई निर्देश क्रमांक: शिविरा-माध्य/निजी/निर्देश/2019 दिनांक 13.06.2022 के क्रम में एतद् द्वारा निम्नांकित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	नाम एवं पद	पदस्थापन स्थान	पीएच.डी. विषय	विश्वविद्यालय का नाम
1	नरेश कुमार, प्राध्यापक-रसायन विज्ञान	डाइट, बाड़मेर	शिक्षा शास्त्र	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर
2	सुमित्रा बगड़िया प्राध्यापक-रसायन विज्ञान	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घस्सु माधोपुरा लक्ष्मणगढ, ब्लॉक-लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज.	रसायन विज्ञान	महर्षि दयानन्द सरस्वति विश्वविद्यालय, अजमेर

1. पीएच.डी. स्वयं के खर्च पर ही करनी होगी।
2. पीएच.डी. करने के लिए किसी भी प्रकार का अवकाश/अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा, परन्तु प्रार्थी के द्वारा सर्वेक्षण/प्रयोग करने के लिए नियमानुसार स्वयं का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, बशर्ते विद्यालय व्यवस्था में विपरीत प्रभाव नहीं पड़े।
3. पीएच.डी. शोध कार्य के दौरान कर्तव्य निर्वहन में विपरीत प्रभाव पड़ने पर अनुज्ञा निरस्त की जा सकती है।
4. अनुज्ञा दिनांक से एक वर्ष की अवधि में यदि पीएच.डी. पंजीयन नहीं होता है, तो अनुज्ञा स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
5. पाठ्यक्रम की वैधता नहीं होने की स्थिति में अथवा मान्यता न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक उत्तरदायी होगा।
6. पीएच.डी. की उपाधि प्रदत्त होने पर शोध सारांश एवं उपाधि की प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
7. यह अनुज्ञा "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए) न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम-2016" का संबंधित विश्वविद्यालय एवं कार्मिक द्वारा पालन किये जाने के अध्वधीन जारी की जा रही है।
8. उक्त अनुज्ञा दिए जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानांतरण किया जा सकता है।

(रमेश कुमार हर्ष)
उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/शोध/पीएच.डी./अनुज्ञा/34265/VOL-2/2022/ 883

दिनांक : 23.08.2023

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. रजिस्ट्रार- मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर/महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर/घूरू।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, बाड़मेर/सीकर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक, बाड़मेर/सीकर।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा, ब्लॉक बाड़मेर/लक्ष्मणगढ(सीकर)।
6. प्राचार्य डाइट बाड़मेर/राउमावि घस्सु, माधोपुरा, लक्ष्मणगढ, सीकर।
7. संबंधित कार्मिक
8. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Ramesh Kumar Harsh
Designation : Deputy Director
Date: 2023.08.23 12:48:11 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4561727

